फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री शंकर लाल रैबारी विपक्षी अर्जुन लाल रैबारी

मुकद्दमा 53-88-188 पत्रावली संख्या 106 सन् 23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	3/8/23 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेस्पो. को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद तलबी दि० 14/9/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली पत्रावली पेश ... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 14/12/23 को पेश हो	प्रतिवादी सं. 1 से 4 तक Ad. नितिन जी मण्डोवरा स्टेर हेरिंग के लिए उपस्थित। Nitin Mandowara (वादी शंकरलाल)
	14/12/23 पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी श्री. अति. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नीतिन मण्डोवरा द्वारा V.T की। आगामी पेशी पर वकालतनामा/जवाब पेश कर देवें। अति. सं. 5, 6 के सम्मन बाउ जामिल शुदा नहीं, बरन्जार रहे। पत्रावली वास्ते तलबी न. 5, 6/जवाब/वकालतनामा दिनांक 18/03/24 को पेश हो।	
	19/2/24 पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा तलबी मय खर्चे का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। प्रा. पत्र आ. का. रहे। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। वादी की प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई। अतः वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पक्षकारान होकर जब्त से कम हों। निर्णय सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) मावली सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:02:17 IST
Reason: SelfAttested